



**बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।**

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खॉं मार्ग, पटना-800 014

संख्या-व.सं./26/2019-1089

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक-02/12/2020

विषय - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत पैकेज सं० BR-12R-567, T04 अमरा-बगाही कला हरिजन टोला पथांश के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.536 हे० वन भूमि का "कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नीमचक बथानी के पक्ष में" अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98 FC दिनांक 13.05.2011, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 474 दिनांक 30.08.2012 तथा पत्रांक 1371 (ई०) दिनांक 19.12.2018 द्वारा अपयोजन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से अनुमोदनोपरान्त स्वीकृति आदेश निर्गत करने का निर्देश दिया गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत पैकेज सं० BR-12R-567, T04 अमरा-बगाही कला हरिजन टोला पथांश के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.536 हे० वन भूमि अपयोजन हेतु कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नीमचक बथानी का प्रस्ताव वन संरक्षक, गया अंचल, गया के माध्यम से प्राप्त हुआ है जिसमें अपयोजित होने वाली वन भूमि एवं पातित होने वाली वृक्षों की संख्या निम्नलिखित है-

क्रम सं०	वन प्रमंडल का नाम	क्षेत्रफल (हे० में)	पातित होने वाली वृक्षों की संख्या
1	गया	0.536	0
	कुल	0.536	0

3. प्रस्तावित पथांश का निर्माण सोहैलपुर सुरक्षित वन भूमि में होना है जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या F/LA/12/83-3266 दिनांक 02.09.1983 द्वारा अधिसूचित है। इस क्रम में तालिका के अनुसार कुल 0.536 हे० वन भूमि के अपयोजन एवं शून्य वृक्षों के पातन की अनुशंसा वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया एवं वन संरक्षक, गया द्वारा किया गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया है कि अपयोजित होने वाली वन भूमि वन्यप्राणी आश्रयणी एवं राष्ट्रीय उद्यान का भाग नहीं है।

4. इस क्रम में वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया द्वारा परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि का वानस्पतिक घनत्व 0 प्रतिवेदित किया गया है। प्रस्तावित पथांश को मूल टोपो शीट नक्शा पर दर्शाते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित मूल टोपो शीट नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया है। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपयोजित होने वाली वन भूमि का Geo Reference Map ऑन लाईन में प्रदर्शित है।

5. परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये जिला पदाधिकारी, गया द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है। परन्तु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-43/2013-FC दिनांक 26.02.2019 के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र, सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के अनुपालन के साथ उपलब्ध कराने संबंधित दिशा-निर्देश निर्गत की गयी है। तद्आलोक में बिना FRA, 2006 प्रमाण पत्र के ही प्रस्ताव पर Stage-I की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव अग्रसारित किया जा रहा है।

6. वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन कर कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है।

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 0.536 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रु० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रु० 3,35,536/- (रुपये तीन लाख पैंतीस हजार पाँच सौ छत्तीस) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. यद्यपि परियोजना निर्माण में वृक्षों का पातन नहीं किया जा रहा है परन्तु हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के मानक दर एवं वर्तमान मजदूरी दर पर राशि देय होगी (रु० 7,36,560/-)।

प्रस्ताव की एक प्रति अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न भेजी जा रही। उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुरोध है कि प्रस्ताव पर राज्य सरकार की सहमति संसूचित करने की कृपा की जाय जिसके बाद नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार के द्वारा Stage-I स्वीकृति पत्र निर्गत किया जायेगा।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।